

अस्पताल में दोगुने दर पर खरीदा गया इंजेक्शन

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : जाफरपुर के राव तुलाराम अस्पताल में नियम कायदे को ताक पर रख दोगुने दाम पर दवा खरीदने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा अस्पताल से मिले आरटीआई के जवाब से हुआ है। इस बारे में आरटीआई कार्यकर्ता आदिश मलिक ने जवाब मांगा था। जवाब में यह निकल कर सामने आया है कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को नजरअंदाज कर अस्पताल प्रशासन ने इंजेक्शनों की तय सरकारी मूल्य से महंगे दामों में खरीदारी की। जब इस बारे में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से बात की गई तो उनका जवाब गोलमोल था।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक जनवरी 2011 को जारी अधिसूचना में दवाओं के दाम निर्धारित किए थे और यह दाम पूरे देश की सभी कंपनियों के लिए एक थे। मालूम हो कि रैनितिडिन नाम का इंजेक्शन बाजार की अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग नाम से बनाती हैं। लेनटेक नामक इंजेक्शन में रैनितिडिन होता है और बाजार में इसकी कीमत 3.50 रुपये के करीब है, जो मंत्रालय की ओर से निर्धारित है।